

# Form No. III

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (मुकाम) मारवाड़ जंक्शन

दलपसिंह बर्जे बनाम येनासिंह वेंगे

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88-188 काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 0185 सन 2014

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
10-1-2014	<p>वकील वादी उपस्थित ।                      वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत .....88.....188.....राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 21-2-2014 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p> <p style="text-align: center;">21/2/14</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय, अन्य कार्य से व्यस्त हैं/अवकाश पर हैं/ बैठक में पधारें हुए हैं/अवकाश पर हैं अतः पत्रावली दिनांक...26/3/14...को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन</p> <p>26.3.2014 पत्रावली पेश हुई।                      प्रतिवादी संख्या 3 का तामिल एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बालर रहने से अदम तामिल जफा हुआ जो मा. पना. हो।                      प्रतिवादी संख्या 2 का पुनः जफा नहीं हुआ है। अतः अदालत है। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का पत्रावली पत्रावली पेश कर 2/5/14 से मजिस्ट्रेट को पत्रावली पेश कर 2/5/14 को पेश करे। पत्रावली मजिस्ट्रेट दिनांक 21.5.2014 को पेश हो।</p>	<p>152 27/1/14</p>

तारीख


हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22/11/19

Not Press

पतावली- आज पेश हुई वकील वार्ड उदण  
 वकील वार्ड हल्पात प्रकरण को आज  
 नहीं चलाना चाहते हैं तथा हल्पात प्रकरण  
 को Not Press करने हेतु लिखित रिपोर्ट  
 की है। वकील वार्ड के निवेदन पर मनन  
 किया गया कि प्रकरण में परिवार पक्ष  
 की एक बे गिरी को प्रमाण का अड्डर  
 क्लेम (Country claim) पेश नहीं किया गया  
 है अतः वकील वार्ड के निवेदन को स्वीकार  
 किया जाकर हल्पात प्रकरण को वकील  
 वार्ड की सहमति के आधार पर जारी Not  
 Press खरीज किया जाता है। पतावली  
 में कुल रुमांर दोनर नम्बर ले कम है।  
 निर्णय आज दिनांक 22/11/19 को खुरे आयालय  
 में सुनाया गया।

  
 निरमलसर  
 भाण्ड

